न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 120
दायरा तिथि : 25.02..2025
आदेश तिथि : 08-04-2025
प्रार्थीगण :–

1. अर्चना भाटी पत्नी नंदसिंह भाटी
2. धनंजय भाटी पुत्र नंदसिंह भाटी
3. नंदसिंह भाटी पुत्र गणपतसिंह भाटी जातिगण राजपूत निवासीगण जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 08-04-2025

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 193 / 28 रकबा 0.8374 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 30 रकबा 1.3600 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. आवेदक (खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु मौके पर चल रहे अन्य खसरों में स्थित रास्ते से आना–जाना करता है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है। इससे कम दूरी का कोई विकल्प आस पास पहाडी भूमि होने से उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	30	1.30 हैक्टर	गै.मु. मगरी	48X9+15/2X72= 972 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि भू.अ. निरीक्षक बेडा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 150000रू / – रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक बेडा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/120

अनवान अर्चना वगैरा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नबर 193/28 रकबा 0.8374 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान मे उपलब्ध नहीं होने से भू-अभिलेख निरीक्षक बेडा द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इंस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/pt/7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 193/28 रकबा 0.8374 की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम वरावल पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 30 रकबा 1.3600 हैक्टर मे से **972 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **भू-अभिलेख निरीक्षक बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 150000/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
30	1.30 हैक्टर	48X9+15.2X72= 972 वर्गमीटर	15	14580X2=29160	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 29160/- (अक्षरे उनतीस हजार एक सौ साठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दि[illegible] बि[illegible]ाई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

क्रमॉक/कोर्ट/2025/302-306

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक अर्चना भाटी पत्नी नंदसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी जोधपुर वगैरा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 17/03/2025 11:05:45 PM

जिला : पाली	तहसील : बाली	भू. अ. नि. क्षेत्र : बेड़ा
पटवारी हल्का : दूदनी	ग्राम : बरावल	

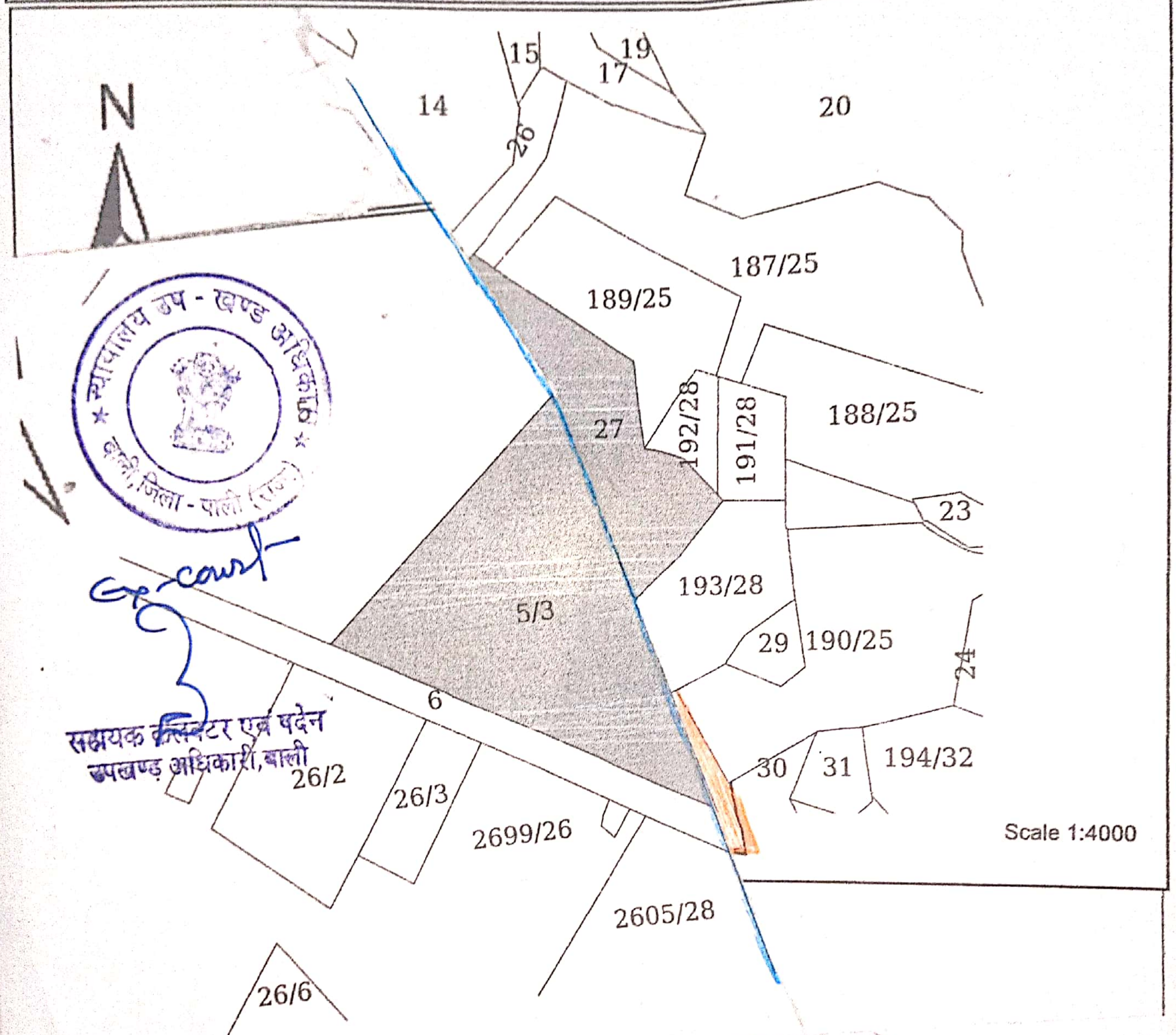

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

बेडा प्रथम व बरावल की सीमा